सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 710 राँची, गुरुवार, 16 भाद्र, 1938 (श०)

7 सितम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

17 जुलाई, 2017

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, देवघर का पत्रांक-151/गो०, दिनांक 25 जनवरी, 2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-2203, दिनांक 6 मार्च, 2012, पत्रांक-7592, दिनांक 29 जून, 2012, संकल्प संख्या-412, दिनांक 16 जनवरी, 2015 एवं संकल्प संख्या-6021, दिनांक 15 जुलाई, 2016
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-245, दिनांक 16 अक्टूबर, 2015
4. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड का पत्रांक-580, दिनांक 15 फरवरी, 2017

संख्या-5/आरोप-1-534/2014 का.- 8098--श्री राजेश कुमार सिंह, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-गोड्डा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-151/गो०, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा इनके विरूद्ध इंदिरा आवास योजना तहत् धूम्ररहित चूल्हा एवं सूचना पट्ट के क्रय में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-2203, दिनांक 6 मार्च, 2012 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री सिंह के पत्र, दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । विभागीय पत्रांक-7592, दिनांक 29 जून, 2012 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, देवघर से श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु इनका मंतव्य अप्राप्त रहा । अतः मामले के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-412, दिनांक 16 जनवरी, 2015 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री झा के पत्रांक-245, दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-6021, दिनांक 15 जुलाई, 2016 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह ने पत्र, दिनांक 9 फरवरी, 2017 द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-580, दिनांक 15 फरवरी, 2017 द्वारा इस विभाग को प्राप्त हुआ ।

श्री सिंह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दण्ड संकल्प निर्गत होने की तिथि 15 जुलाई, 2016 के 6 माह 24 दिन बाद दिनांक 9 फरवरी, 2017 को माननीय राज्यपाल के समक्ष समर्पित किया गया है जबकि झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-26 में स्पष्ट है कि "कोई अपील तभी स्वीकार की जायेगी जब अपीलार्थी को आदेश दिये जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की गई हो ।"

इस प्रकार श्री सिंह द्वारा निर्धारित समय के उपरांत अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री राजेश कुमार सिंह, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर, सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर राँची के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 710--100